रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2014/आषाढ़ 17, 1936
No. 347] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2014/ASHADHA 17, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 12 जून, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 434(अ). —विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए), उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी) (अब इसके आगे "मूल विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात :—

(i) विनियम 2 में से, खंड (x) को हटाया जाएगा।

(ii) मौजूदा विनियम 18 निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

18. "**परियोजना का निर्यात**

जहां माल और सेवाओं का निर्यात आस्थगित भुगतान की शर्त पर करने अथवा तैयार परियोजना का कार्यान्वियन करने अथवा सिविल कंस्ट्रक्शन कांट्रैक्ट करने का प्रस्ताव हो, निर्यातक ऐसी निर्यात व्यवस्था करने से पहले उचित पूर्व अनुमोदन हेतु ऐसे प्रस्ताव को अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करेगा।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन हेतु, 'अनुमोदनदाता प्राधिकारी' का तात्पर्य भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) अथवा प्राधिकृत व्यापारी है ।"

[सं. फेमा. 310/2014-आरबी]

सी.डी.श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई, 2000 की सं. सा.का.नि. 409 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

a. 21 मार्च, 2001 के सा.का.नि. सं. 199(अ),
b. 8 जुलाई, 2002 के सा.का.नि. सं. 473(अ),
c. 29 सितंबर, 2003 के सा.का.नि. सं. 773(अ),
d. 22 नवंबर, 2003 के सा.का.नि. सं. 900(अ),
e. 23 अप्रैल, 2004 के सा.का.नि. सं. 279(अ),
f. 8 जून, 2004 के सा.का.नि. सं. 352(अ),
g. 5 अगस्त, 2008 के सा.का.नि. सं. 576(अ),
h. 17 दिसंबर, 2012 के सा.का.नि. सं. 896(अ),
i. 29 मई, 2013 के सा.का.नि. सं. 342(अ) ।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th June, 2014

Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) (Second Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of Section 7 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA. 23/2000-RB dated May 3, 2000 as amended from time to time, Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely :—

1. **Short title and commencement**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2**. Amendment to the Regulations**

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 23/2000-RB, dated May 3, 2000) (hereinafter called "the principal regulations"), the following amendments shall be made, namely :—

(i) in Regulation 2, clause (x) shall be deleted.

(ii) the existing Regulation 18 shall be substituted as follows, namely :—

*18.“ **Project exports***

Where an export of goods or services is proposed to be made on deferred payment terms or in execution of a turnkey project or a civil construction contract, the exporter shall, before entering into any such export arrangement, submit the proposal for prior approval of the approving authority, which shall consider the proposal in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

Explanation:

For the purpose of this Regulation, 'approving authority' means the EXIM Bank of India or the authorised dealer”

[No. FEMA. 310/2014-RB]

C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 409 (E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*

a. G.S.R. No. 199 (E), dated March 21, 2001
b. G.S.R. No. 473 (E), dated July 8, 2002
c. G.S.R. No. 773 (E), dated September 29, 2003
d. G.S.R. No. 900 (E), dated November 22, 2003
e. G.S.R. No. 279 (E), dated April 23, 2004
f. G.S.R. No. 352 (E), dated June 8, 2004
g. G.S.R. No. 576 (E), dated August 5, 2008
h. G.S.R. No. 896 (E), dated December 17, 2012
i. G.S.R. No. 342 (E), dated May 29, 2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.